कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर

कार्यालय–आदेश

राज्य सरकार स्कूल एंव संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग के पत्र कमांक प.9(2) शिक्षा–5/2005 पार्ट दिनांक 25.1.08.27.308,एंवआयुक्त , प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर के आदेश कमांक:शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/02–06/II(मु) दिनांक 5.2.08,17.3.08,एंव 204.08के अनुपालना में निम्नकिंत संस्था को प्राथमिक विधालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमौन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा वर्णित क.सं.1से 5 तक में निर्देष्ठि शर्तो व पालना करने बाबत प्रस्तुत शपथ–पत्र (अण्डर टेकिंग) एंव समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संस्था का आवेदन पत्र निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकार किया जाता हैं:–

01 राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था के नियम–1993 के परिशिष्ट–2 में यथा निर्देशित निबन्धकों तथा शर्तो की पूर्ति करने बाबत प्रस्तुत शपथ–पत्र के अनुसार सभी शर्ते पूर्ति करती हैं।

02. संस्था द्वारा राज्य सरकार/ आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा एंव जिला एंव ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–2 पर जारी किये जाने वाले आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों की पालन किया जावेगा एंव समय–2 उनके द्वारा मांगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रेषित की जावें।

03 संस्था के विधार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विधालय में प्रवेश पा सकेगें, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

04. संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में सत्र 2008–09 से कमौन्नत की जावेगी, कमौन्न प्रथम सत्र में कक्षा–6में ,सत्र 2009–10 में कक्षा–7,एंव सत्र 2010–11 मे कक्षा–8 प्रारम्भ की जावेंगी।

05 कक्षानुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक मानदण्डानुसार किये जावेगें।

06 भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।

07 दिनांक 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामाकन एंव वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय की सम्बन्धित शॉखा में प्रस्तुत करेगें।

08 कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्तों आदि की सुविधा दी जावें।

09 शिक्षा से वंचित परिक्षैत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोडकर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगें।

10 शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण–पत्र/आदेश निरस्त किया जासकेगा और संस्था के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

11. माननीय न्यायालय के पूर्वनुमति के शिक्षा सत्र 2008–09 में शुल्क वृद्धि नहीं करेगी, जो पूर्व में लिया जाता था वही शुल्कलिया जावेगा।यदि कोई शुल्क बढा कर लिया जावेंगा ,जो माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्व होगा। उक्त आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार का शिथिलता बरती जाने कीस्थिति में इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

कसं0	पत्रावली सं.	नाम संस्था मय पता	कमौन्नति स्तर	माध्यम (हिन्दी/अग्रेंजी)
1	31/08	ज्न गोपाल विधा मंदिर नायलारोड, कानोता पं.स.बस्सी	उप्रावि	[illegible]
2	33/08	माँ करणी पब्लिक स्कूल, अर्जुनपुरा पं.स0 ज.रामगढ	उप्रावि	हिन्दी
3	34/08	ग्रैट इण्डिया पब्लिक स्कूल, अचरोल पं.स0 आमेर	उप्रावि	हिन्दी
4	35/08	शिवम पब्लिक स्कूल, अचरोल पं.स0 आमेर	उप्रावि	हिन्दी
5	36/08	आर्दश विधा मदिर, दौराज को का मौहल्ला, प.स.ज.रामगढ	उप्रावि	हिन्दी
6	38/08	रावत पब्लिक स्कूल सै. 17 प्रतापनगर,सांगानेर	उप्रावि	~~हिन्दी~~ (अंग्रेजी)
7	39/08	न्यू किड्स वैली पब्लिक स्कूल,169 तरुणछायानगर,टोकरोढ सांगानेर	उप्रावि	अग्रेंजी
8	41/08	पूजा बाल निकेतन, खिजूरिया ब्रम्हणान तह. बस्सी	उप्रावि	हिन्दी
9	42/08	कल्पना विधापीठ, बाढबागपुरा , तहसील चाकसू	उप्रावि	अग्रेंजी
10	43/08	प्रिंस पब्लिक स्कूल, पीलवा चन्दबाजी पं.स. आमेर	उप्रावि	हिन्दी
11	45/08	द्वेव पब्लिक स्कूल, ग्राम थली वाया आंधी तह.जमवारामगढ	उप्रावि	हिन्दी

s/d
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,जयपुर

कमांक:जिशिअ/जय/प्राशि/जय/सामा–2/फा– 52(सरस्वती)/07–08 4165–81 दिनांक 30.4.08

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1 आयुक्त महो. प्रारंभिक शिक्षा, राज. बीकानेर। 2. शिक्षा उप निदेशक(प्रारं.शिक्षा) जयपुर संभाग,जयपुर।
3. सम्बधित ब्लॉक प्रारं. शिक्षा अधिकारी, 4. संबधित संस्था सचिव, रावत पब्लिक स्कूल
5. रक्षित पत्रावली।

30-4-08

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,जयपुर

Principal
Rawat Public School
Sector-17, Pratap Nagar
Sanganer, JAIPUR

सचिव
रावत बाल विद्या निकेतन समिति
विवेक विहार, जयपुर

<u>कार्यालय आदेश</u>

क्रमांक–जिशिअं/जय/प्राशि/जय/आर.टी.ई/फा–52/सस्वती/20–21/465–81(नवीनीकरण) दिनांकः–02/03/2020

अध्यक्ष/प्रबंधन

रावत पब्लिक स्कूल

सेक्टर–17, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

विषयः– नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रावत पब्लिक स्कूल, जयपुर को आरटीई की मान्यता के क्रमांक – जिशिअं/जय/प्राशि/जय/आर.टी.ई/फा–52/सस्वती/20–21/465–81(नवीनिकरण) दिनांक 27.11.2012 के द्वारा आरटीई की मान्यता दी गयी थी। जो 3 वर्ष कालावधि के लिए मंजूर की गयी थी। परन्तु राज्य सरकार ने आगामी आदेशो तक इसी मान्यता को यथावत किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

Principal
Rawat Public School
Sector-17, Pratap Nagar
Sanganer, JAIPUR

सचिव
रावत बाल विद्या निकेतन समिति
विवेक विहार, जयपुर